

प्रा. नं. ३८

ग्रामालय निवासियोंकी सदर आजमगढ़।

/ 2012

ग्राम पिंडी महाविद्यालय, सलेमपुर मुहम्मदाबाद

प्रधानाधिकारी, श्री कैलास यादव

सभाम

उम्मीद भवन

तहसील घास 143 उम्मीद

जिल्हा-पटे भूमि ५० एकड़ि

शीतो-सत्रमध्ये उक्त मुहम्मदाबाद

परमान-विरेयाकोट तहसील

सदर जनपद-झाँगराड़।

आदेश

प्राची श्री कैलास यादव, मुलायम सिंह तिक्का सब समिति ग्राम-सलेमपुर तहसील-मुहम्मदाबाद, जिल्हा-पटे, प्रधानाधिकारी, ग्राम पिंडी महाविद्यालय, सलेमपुर मुहम्मदाबाद से ग्राम-सलेमपुर उक्त मुहम्मदाबाद प्रधानाधिकारी-तहसील-सदर में निवास ग्राम सं० 00054 के गांव सं० 262/1012० के साक्षमताय भूमिका है, जो अकृषिक/आखारी संभिति किये जाने हेतु प्रधानाधिकारी द्वारा प्रमुख दिया।

प्राची-पत्र की जांच हेतु तहसीलदार सदर जनपद-झाँगराड़ को बड़ा गया। तहसीलदार, सदर द्वारा शोधीय सेवायात्रा एवं ग्रामस्व निरीक्षण से स्थलीय विवेदन एवं छोड़न्वारा प्रतीक्षण कराकर उनकी आवधि दिनांक १५०१.२०१३ पर अपनी समस्ति आखा दिनांक १५.०१.२०१३ प्रस्तुत की है। आख्या में उल्लेख दिया गया है कि प्रस्तुत ग्राम सं० 00054 के गांव सं० 262/1012०, जारी १९९५ पर प्राची श्री कैलास यादव, मुलायम सिंह तिक्का सब समिति ग्राम-सलेमपुर उक्त मुहम्मदाबाद प्रधानाधिकारी-तहसील-सदर में निवास ग्राम सं० 00054 के गांव सं० 262/1012० के साक्षमताय भूमिका है, जो ग्रामपूर्वी भूमिका द्वारा दी गई है। इसके पर आखिर दाखिल है। प्रस्तुत ग्राम सं० 262 में कृषि, उदानीकरण, पशुपालन, मस्तव्य सम्बद्ध एवं कृषकट पालन आदि का कार्य नहीं हो रहा है। प्रस्तुत गांव सं० 262 की नहीं है, सरकारी भूमि नहीं है। सार्वजनिक प्रदीप में नहीं है और तालाब पोखर किंवद्दन ग्रामगांव नहीं है त ही भूमि नहीं है। वाजीबीय स्थल की है। प्रस्तुत गांव सं० 262 की निवास किसी भी प्रस्तावित योजना में अधिवृहित नहीं है। प्रस्तुत गांव सं० 262 का वर्णन ग्राम सं० 141९ फलती खसरा में कृषि दाखि नहीं है तथा वर्ष १४१९ फलती के कृषि कार्य नहीं हो रहा है। प्रस्तुत गांव सं० 262 की जांचोंदार अनुसूचित जाति के सदस्य तक है। प्रस्तुत गांव की स्थल पर आखारी का प्रयास हो रहा है। कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। आख्या विवासित कालानीका दाखिल है। प्रस्तुत गांव के पूर्ण स्थल पर आखारी का प्रयास हो रहा है। प्रस्तुत गांव के मध्य कोई जामकोय नहीं है। जल सीज-सलेमपुर उक्त मुहम्मदाबाद तहसील-सदर जनपद-झाँगराड़ श्री कैलास यादव, मुलायम सिंह तिक्का सब समिति ग्राम-सलेमपुर उक्त मुहम्मदाबाद, जिल्हा-पटे प्रधानाधिकारी, ग्राम पिंडी महाविद्यालय, सलेमपुर मुहम्मदाबाद प्रधानाधिकारी-तहसील-सदर जनपद-झाँगराड़ को नहीं। सामाजिक भौमिका के काप में अधिकत है व नकल खसरा सं० 141९ फलती तथा प्राची का शपथ-प्रधि द्वारा दाखिल सलाह कर भेजा है। युक्त तहसील आख्यानुसार प्रस्तुत भूमि वर्तमान में कृषि माला-शाला-कृषकट पालन वायवानी इत्यादि के उपयोग में नहीं आ रही है व तहसील आख्या के बाप्त, संतुष्टि-प्रधि, एवं स्थलीय फोटोग्राफ से संतुष्ट होते हुए उक्त प्रस्तुत ग्राम सं० 00054 के गांव सं० 262/1012०, जलतीपाल भूमि १९.०५ घास १४३ उम्मीद ज००५० एवं न०००५० के संपर्कित नियम १३५ (३) के अनुरूप अकृषिक भूमि घाँटित की जाती है। तहसील आख्या के साथ सलेमपुर उक्त आदेश का अंग रहेंगे। सदनुसार प्रस्तुत ग्राम जारी होने तक यहाँ ग्राम आदेश का अंग रहेगा।

N-१८३२५/१८३२५

तहसील की उक्त आख्या के परिषद्य में पत्राकारी पर उपलब्ध नियम १३५ (१) की ग्राम पिंडी लेखायात एवं तहसीलदार, सदर द्वारा हस्ताक्षित व संतुष्टिपत्र किया गया है। नकल खतीनी सं० १४२० फलती में प्राची श्री कैलास यादव, मुलायम सिंह तिक्का सब समिति ग्राम-सलेमपुर उक्त मुहम्मदाबाद, जिल्हा-पटे प्रधानाधिकारी, ग्राम पिंडी महाविद्यालय, सलेमपुर मुहम्मदाबाद ने प्रधानाधिकारी-तहसील-सदर जनपद-झाँगराड़ का नहीं। सामाजिक भौमिका के काप में अधिकत है व नकल खसरा सं० 141९ फलती तथा प्राची का शपथ-प्रधि द्वारा दाखिल सलाह कर भेजा है। युक्त तहसील आख्यानुसार प्रस्तुत भूमि वर्तमान में कृषि माला-शाला-कृषकट पालन वायवानी इत्यादि के उपयोग में नहीं आ रही है व तहसील आख्या के बाप्त, संतुष्टि-प्रधि, एवं स्थलीय फोटोग्राफ से संतुष्ट होते हुए उक्त प्रस्तुत ग्राम सं० 00054 के गांव सं० 262/1012०, जलतीपाल भूमि १९.०५ घास १४३ उम्मीद ज००५० एवं न०००५० के संपर्कित नियम १३५ (३) के अनुरूप अकृषिक भूमि घाँटित की जाती है। तहसील आख्या के साथ सलेमपुर उक्त आदेश का अंग रहेंगे। सदनुसार प्रस्तुत ग्राम जारी होने तक यहाँ ग्राम आदेश का अंग रहेगा।

R.K.

हे-प्रधानाधिकारी,

390

२५-११३

(अनिल कुमार)

उप विलापीकारी
सदर, आजमगढ़।

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर, आजमगढ़।

दाद सं ३५ /२०१२
माता धिराजी महाविद्यालय, सलेमपुर सुल्तानीपुर
प्रबन्धक, श्री कैलास यादव
चनाम
उ०प्र० सरकार

अन्तर्गत घासा १४३ उ०प्र०
ज०पि० एवं भ०व्य० अधि०
मौजा—सलेमपुर उर्फ खुदादादपुर
परगना—चिरेयाकोट, तहसील—
सदर, जनपद—आजमगढ़।

प्रख्यापन

तहसीलदार, सदर की आख्या दिनांक 15.01.2013 से सन्तुष्ट होकर मौजा—सलेमपुर उर्फ खुदादादपुर की निम्नांकित भूमि को उ०प्र० ज०पि० एवं भ०व्य० ०२५.०० 1950 की घासा १४३(१) सहपठित नियम 135(३) के अन्तर्गत अनुचित घोषित किया जाता है। वर्तमान में निम्नांकित भूमि कृषि, उद्यानीकरण, बागबानी, पशुपालन, मत्स्य संकर्षन एवं कृषकृषि पालन भी के के उत्तरांग में नहीं आ रही है।

नाम ग्राम/ तहसील / जनपद	नाम भूमिघर मध्य वल्डियत व साकूनत	गाठा सं०/क्षेत्रफल	मूराजस्व
मौजा—सलेमपुर उर्फ खुदादादपुर तहसील—सदर, जनपद—आजमगढ़	प्राची श्री कैलास यादव, मुलायम सिंह शिंका सोंगा रामिति, ग्राम—सूलपुर, तहसील—मुहम्मदाबाद, जिला—बुजु, प्रबन्धक, माता धिराजी महाविद्यालय, सलेमपुर सुल्तानीपुर ने ग्राम—सलेमपुर उर्फ खुदादादपुर, परगना—चिरेयाकोट, तहसील—सदर, जनपद—आजमगढ़	घासा सं० ०००५४ क गाठा सं० २६२/ १०१२६०	१९.०५ रु०

प्रतिलिपि—निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- उप प्रबन्धक, सदर, जनपद—आजमगढ़ को दो प्रतियों में इस आशय से कि एक प्रति पृष्ठांकन उपर्युक्त इस न्यायालय को वापस भेजी जाय।
- तहसीलदार, सदर, आजमगढ़ को दो प्रतियों में अमलदरामद हेतु।

(अनिल कुमार)
उप जिलाधिकारी
सदर, आजमगढ़।

(१७-११३).
उप जिलाधिकारी
सदर, आजमगढ़।